

प्रशासनिक कार्यालय, जिला न्यायालय, देहरादून।

पत्रांक : 170/कार्यालय-2026,

दिनांक : 29 सितंबर, 2026

-: सार्वजनिक सूचना :-

विषय : न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0एस0सी0 जिला देहरादून में कॉपिस्ट (Copyist) के रिक्त 01 पद के सापेक्ष सेवानिवृत्त तृतीय श्रेणी कार्मिकों की पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन किये जाने के सम्बन्ध में।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0एस0सी0, देहरादून, में कॉपिस्ट (Copyist) का 01 पद रिक्त है। उक्त पद पर सेवानिवृत्त कार्मिकों की पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन किया जाना है।

- पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन के लिये अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी। यह पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन नितान्त अस्थायी होगी तथा यह एफ0टी0एस0सी0 न्यायालय के प्रचलन तक ही की जायेगी।
- पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन अवधि में वेतन का भुगतान अंतिम आहरित वेतन माइनस पेंशन के सिद्धान्त पर होगा।
- कार्मिक के सम्बन्धित पद पर सेवा के लिये उपयोगिता, उसका अच्छा स्वास्थ्य तथा उसकी सत्यनिष्ठा को भी ध्यान में रखा जायेगा।
- कार्मिक को हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा का व्यावहारिक ज्ञान हो। हिन्दी और अंग्रेजी टंकण एवं कम्प्यूटर प्रचालन का पर्याप्त ज्ञान हो। साथ ही सी0आई0एस0 संचालन का भी पूर्ण ज्ञान हो।
- पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन सरकारी सेवक को एक कलैण्डर वर्ष में 14 दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा।
- पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन अवधि निर्धारित समय से पहले बिना नोटिस के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
- अतः माननीय जिला न्यायाधीश, देहरादून के निर्देशानुसार यह सूचित किया जाता है कि यदि उत्तराखण्ड न्यायपालिका से सेवानिवृत्त कोई तृतीय श्रेणी कार्मिक उक्त कॉपिस्ट (Copyist) के रिक्त 01 पद पर कार्य करने का इच्छुक हो, तो वह अपना प्रार्थना पत्र, बायोडाटा तथा चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र सहित दिनांक: 09.10.2026 की सांय 4:00 बजे तक प्रशासनिक कार्यालय, जिला न्यायालय देहरादून में प्रस्तुत कर सकता है। तदनुसार सूचना प्रसारित की जा रही है।

(महेश चन्द्र कोशिवा)
प्रभारी अधिकारी,
प्रशासनिक अनुभाग/
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

- माननीय जनपद न्यायाधीश, अल्मोड़ा/बागेश्वर/चमोली/चम्पावत/हरिद्वार/नैनीताल/पौड़ी गढ़वाल/पिथौरागढ़/रूद्रप्रयाग/टिहरी गढ़वाल/उत्तरकाशी/ऊधमसिंहनगर को सादर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त सूचना को अपने अधीनस्थ जिला न्यायालयों एवं बाह्य न्यायालयों के नोटिस बोर्ड में चरपा करवाये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, देहरादून।
- नोटिस बोर्ड, सिविल न्यायालय, ऋषिकेश/विकासनगर/डोईवाला/मसूरी/चकराता।
- नोटिस बोर्ड, न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो), देहरादून।
- सिस्टम ऑफिसर को जिला न्यायालय, देहरादून की वेबसाईट पर प्रचार-प्रसार हेतु अपलोड किये जाने हेतु।